क्रम	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज अशोक कुमार बनाम विशनलाल वगैराह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थीगण ने उनकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2023 में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 25.10.2011 के विरूद्ध प्रार्थीगण की ओर से राजस्व मण्डल अजमेर में उनवानी अशोक कुमार बनाम विशनलाल आदि प्रकरण संख्या 8143/2011 प्रस्तुत की गई थी जो कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 26.10.2020 को खारिज कर दी गई थी। इसलिए अदालत हाजा में प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र मेन्टनेबल नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय को सक्षम न्यायालय में चुनौती तत्समय ही दे दी गई थी व इसे सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज भी किया जा चुका है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा इस संबंध में सी.पी.सी. के आदेश 114 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए तर्क दिया कि पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र उसी स्थिति में प्रस्तुत किया जा सकता है जबकि किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है, किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है, किसी ऐसे डिक्री आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है अथवा ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है। अपने को व्यथित मानता है। वह डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय उस पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे। उक्त प्रकरण में चूंकि प्रार्थीगण द्वारा अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 25.10.2011 के विरूद्ध तत्समय ही राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। अतः इस आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं है। वकील अप्रार्थी ने आर.आर.टी 2022 (2) पेज 1235 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि एक ही आदेश के विरूद्ध एक ही समय में दो न्यायालयों में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः उक्त नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन संबंधी प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी की ओर से की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील प्रार्थी ने तर्क दिया कि प्रार्थी की ओर से राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज की गई थी जिसमें प्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल में वाजदायरी संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था जो कि वर्तमान में भी राजस्व मण्डल में लम्बित है। वकील अप्रार्थी का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि एक साथ दो रेमेडी नहीं ली जा सकती है, क्योंकि अपील व पुनर्विलोकन के तथ्य भिन्न–भिन्न होते हैं अपील में प्रकरण के गुणावगुण व तथ्यों को देखा जाता है तथा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में निर्णय में रहे सारभूत तथ्य जो कि निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं को देखा जाता है। इसलिए ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि अपील व पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र एक साथ नहीं चल सकते हैं। अतः वकील अप्रार्थी की ओर से की गई प्रारम्भिक आपत्ति को खारिज कर पुनर्विलोकन संबंधी प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जावे। अप्रार्थी व प्रार्थी के विद्वान अभिभाषकगण की वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2023 पर बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा वकील अप्रार्थी की ओर से बहस में वर्णित	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज अशोक कुमार बनाम विशनलाल वगैराह
14.08.2023	नजीर 2022 (2) आर.आर.टी पेज 1235 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त तथा सी.पी.सी के आदेश 114 में वर्णित प्रावधान का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से अदालत हाजा में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के तहत अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 25.10.2011 के विरूद्ध नजरसानी रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 08.11.2011 को पेश किया गया था। वकील अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 14.02.2023 के साथ संलग्न दस्तावेज जो कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दायर की गई निगरानी एल.आर./8143/2011 उनवानी अशोक कुमार बनाम विशनलाल वगैराह से संबंधित है, के अनुसार अदालत हाजा की ओर से पारित आदेश दिनांक 25.10.2011 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 सहपठित धारा 9 के तहत निगरानी पेश की गई, जो कि दिनांक 26.10.2020 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दी गई थी। वकील प्रार्थी के अनुसार राजस्व मण्डल में उक्त आदेश के संबंध में वाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। जिसकी पुष्टि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कॉजलिस्ट की प्रति से हो रही है, परन्तु वकील अप्रार्थी की ओर से बहस में वर्णित नजीर 2022 (2) आर.आर.टी पेज 1235 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार एक ही आदेश के विरूद्ध दो तरह की रेमेडी प्राप्त किए जाने को उचित नहीं माना गया है। इसी प्रकार सी.पी.सी के आदेश 114 जिसके तहत पुनर्विलोकन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, से भी स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति जो किसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात है, किन्तु जिसकी कोई अपील नहीं की गई है, किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी इस संहिता द्वारा अपील अनुज्ञात नहीं है अथवा ऐसे विनिश्चय से जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया है, से अपने को व्यथित मानता है। वह डिक्री पारित करने वाले या आदेश करने वाले न्यायालय से निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकेगा। इस प्रावधान के अनुसार अपील नहीं किए जाने की स्थिति में पुनर्विलोकन संबंधी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अदालत हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2011 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश तत्समय ही कर दी गई थी तथा वकील प्रार्थी के अनुसार उक्त अपील अभी भी माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में सी.पी.सी के आदेश 114 में वर्णित प्रावधान तथा बहस में वर्णित नजीर में उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पुनर्विलोकन संबंधी प्रार्थना पत्र अदालत हाजा में मेन्टनेबल नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 14.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (साँवर मल वर्मा) संभागीय आयुक्त, भरतपुर